भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2372
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024/ 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में साइबर अपराध के मामले

†2372. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में साइबर अपराध के जिला-वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ख) विशाखापट्टनम सहित आन्ध्र प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी के कारण कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ और विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के अंतर्गत कितनी धनराशि रोक दी गई;
(ग) आन्ध्र प्रदेश में साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए उपलब्ध उपभोक्ता निवारण और क्षतिपूर्ति तंत्र का ब्यौरा क्या है और विशाखापट्टनम में पीड़ितों को खोई हुई धनराशि जारी करने सहित ऐसे कितने मामलों में सफलतापूर्वक मुआवजा प्रदान किया गया; और
(घ) सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश विशेषकर विशाखापट्टनम में साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं जिनमें जन जागरूकता अभियान, प्रौद्यिगिकीय उपाय और वित्तीय संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के साथ सहयोग शामिल है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में साइबर अपराधों (माध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का जिले-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की

रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए तथा बैंक खातों को फ्रीज करने/डी-फ्रीज करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) को एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित किया है।

महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

<u>लोक सभा अता. प्र. सं. 2372 दिनांक 10.12.2024</u>

समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए एलईए हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

*****

अनुलग्नक (पृष्ठ 2 का 1)
लोक सभा अता.प्र.सं. 2372 दिनांक 10.12.2024

वर्ष 2018-2021 के दौरान साइबर अपराधों के तहत आन्ध्र प्रदेश में जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	**जिला**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	अनंतपुर	52	63	41	55
2	चित्तूर	10	26	87	51
3	कडपा	4	10	4	20
4	पूर्वी गोदावरी	16	23	68	107
5	गुंतकल रेलवे	0	0	0	0
6	गुंटूर	55	111	79	101
7	गुंटूर अर्बन	58	173	157	211
8	कृष्णा	26	111	74	47
9	कुरनूल	40	136	165	84
10	नेल्लोर	38	0	69	65
11	प्रकाशम	61	104	62	69
12	राजमुंदरी	25	95	120	88
13	श्रीकाकुलम	39	47	64	64
14	तिरुपति अर्बन	39	85	102	211
15	विजयवाड़ा शहर	181	240	176	133
16	विजयवाड़ा रेलवे	0	0	0	1
17	विशाखा ग्रामीण	0	20	5	35
18	विशाखापट्टनम	427	400	361	323
19	विजयनगरम	53	88	81	119
20	पश्चिम गोदावरी	83	154	184	91
कुल		**1207**	**1886**	**1899**	**1875**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2372 दिनांक 10.12.2024

वर्ष 2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत आन्ध्र प्रदेश में जिले-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	जिला	2022
1	अल्लूरी सीताराम राजू	1
2	अनकापल्ली	55
3	अनंतपुरम	38
4	अन्नामय्या	5
5	बापतला	17
6	चित्तूर	57
7	डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा	29
8	पूर्वी गोदावरी	78
9	एलुरु	73
10	गुंतकल रेलवे	0
11	गुंटूर	348
12	काकीनाडा	53
13	कृष्णा	77
14	कुरनूल	18
15	नंदयाल	43
16	एनटीआर	156
17	पलनाडु	30
18	पार्वतीपुरम मान्यम	16
19	प्रकाशम	90
20	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	10
21	श्री सत्य साईं	67
22	श्रीकाकुलम	99
23	तिरुपति	179
24	विजयवाड़ा रेलवे	1
25	विशाखापट्टनम	621
26	विजयनगरम	122
27	पश्चिम गोदावरी	26
28	वाईएसआर	32
	कुल	**2341**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया।